



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) T-2

आदेश पत्रक

सुरेन्द्र महली

बनाम राजकिशोर महली वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...6.1...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी लमाड... के अप्राथमिकी सं०-18/18 दिनांक-10-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीनी विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 11-06-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>प्रीतिलीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 29-06-18 को शुरू ।</p>	

22-5-18

11-06-18

11-02-19

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अधितकवा हाजरी दिया पत्र क्रमांक 02
अपिमत अन्य अनुपस्थित। उक्त वाद में
6(6:) माह की अवधि पूरी है। इसी
ही अवधि वाद कालबाधित हो गया है।
अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द
की जाती है।


11/02/19